राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3(54) शिक्षा-4/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 25.06.2010

1. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर ।
3. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
4. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
5. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
7. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
8. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

विषयः-- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के संबंध में ।
सदर्भः-- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010 एवं लिंगदोह समिति सिफारिशें जिन्हें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010 द्वारा यह सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव शैक्षणिक पत्र 2010-11 से कराये जायेगें एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेगें । इस पत्र के कम में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपान्तरण संलग्न प्रेषित किया जा रहा हैं । साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुकूल ही छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हैं । इसके विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. छात्रसंघ चुनाव शैक्षणिक सत्र 2010-11 से प्रत्यक्ष अध्यक्षात्मक सीधे चुनाव के आधार पर कराये जायेगें ।

2. सभी संस्थाऐं, परिसर में अनुशासन जैसे प्रासंगिक मुद्दो के अधीन रहते हुए चुनावों की एक रचनात्मक व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न करेंगी।

3. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा एक शीर्ष छात्र प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जायेगा जो उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी संघटक महाविद्यालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करती होगी । विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव करेगें । साथ ही ऐसे विश्वविद्यालय जिनके संघटक महाविद्यालय/शैक्षणिक विभाग हैं, उन द्वारा अपने-अपने महाविद्यालयों /शैक्षणिक विभागों से विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु करेगें ये प्रतिनिधि प्रत्येक संघटक महाविद्यालयों से न्यूनतम 200 विद्यार्थीयों पर 01 हो सकता है । लेकिन 4 प्रतिनिधि से अधिक नहीं होगें एवं प्रत्येक शैक्षणिक अनुभाग से न्यूनतम एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा । इन प्रतिनिधियों में से विश्वविद्यालय छात्रसंघ द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाई जा सकेगी ।

संघटक / संबंध महाविद्यालयों / शैक्षणिक अनुभागों द्वारा स्वतंत्र रुप से अपनी छात्रसंघ का गठन किया जा सकेगा । इस छात्रसंघ के पदाधिकारियों का विश्वविद्यालय छात्रसंघ के समान संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जा सकेगा । साथ ही प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 विद्यार्थी के आधार पर कक्षा प्रतिनिधियों का उस कक्षा के विद्यार्थी द्वारा निर्वाचन हो सकेगा । ये निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि संबंधित छात्रसंघ के सदस्य होगें, इनमें से छात्रसंघ अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाई जा सकेगी ।

4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्वाचित छात्रसंघ या प्रतिनिधियात्मक निकाय केवल उस संस्थान में पढ रहे नियमित विद्यार्थियों से ही सृजित होगी । किसी भी संकाय सदस्य या प्रशासन के सदस्य को किसी प्रतिनिधयात्मक निकाय या संस्था का वह सदस्य होने एवं कार्यकारिणी के पद पर रहने की अनुमति नहीं है।

5. चुनाव की प्रक्रिया:–

चुनाव की एक ऐसी प्रणाली जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कक्षा–प्रतिनिधि सीधे तौर पर चुने जायेगें और ये कक्षा प्रतिनिधि फिर महाविद्यालय संघों विश्वविद्यालय परिसर संघ के पदाधिकारियों का चुनाव करेगें । वे विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगें । महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों परिसर से चुने गये ये प्रतिनिधि एक electoral college का निर्माण करेगें जो विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदाधिकारियों का चुनाव करेगा ।

6. छात्र चुनावों एवं छात्र प्रतिनिधित्व का राजनीतिक दलों से विलगाव:

चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र नहीं है चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या छात्रसंघ का सदस्य जो इस नियम का उल्लंघन करेगा वह अनुशोसनात्मक कार्यवाईयों का भागी होगा । इसके साथ ही उसकी उम्मीदवारी जैसा भी प्रकरण हो , रद्द की जायेगी ।

7. चुनाव प्रकिया की आकति एवं अवधि:

(i) चुनाव की पूरी प्रकिया की अवधि जो कि नामांकन पत्र भरने की तिथि से शुरु होकर परिणामों के घोषित होने की तिथि तक होगी और जिसमें प्रचार अभियान समयावधि समायोजित होगी, 10 दिवस से अधिक नहीं होनो चाहिए ।

(ii) प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों / संघठक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभागों में छात्रसंघ चुनाव की प्रकिया इस वर्ष 16 अगस्त, 2010 से प्रारम्भ होगी तथा निर्वाचन 25 अगस्त, 2010 को एक ही दिवस में सम्पन्न कराई जावे ।

8. उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड:

(i) स्नातक कर रहे 17 से 22 वर्ष के मध्य की आयु के छात्र चुनाव लड सकते हैं । चार वर्षीय पाठ्यकम में 17–23 वर्ष एवं पांच वर्षीय पाठ्यकम में 17–24 वर्ष तक विद्यार्थी चुनाव में भाग ले सकतें हैं ।

(ii) स्नातकोत्तर छात्रों हेतु वैध तरीके से चुनाव लडने की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी ।

(iii) शोधार्थियों के लिए वैध रुप से चुनाव लडने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।

(iv) छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया (Academec arrears) चुनाव लडने के वर्ष में नहीं होना चाहिए ।

(v) उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत उपस्थिति इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, हासिल किया जाना आवश्यक है ।

(vi) उम्मीदवार के पास पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लडने का अवसर एक होगा और कार्यकारी सदस्य के पद पर चुनाव लडने हेतु दो अवसर होगें ।

(vii) उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात् वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो । यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो ।

(viii) उम्मीदवार अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नियमित व पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और एक दूरस्थ/आसन्न शिक्षा का छात्र नहीं होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि सभी पात्र उम्मीदवार एक पूर्णकालिक कोर्स में नामांकित हो जिसकी कि समयावधि न्यूनतम एक साल हो ।

9. चुनाव संबंधी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही:–

(i) प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000 रु0 के व्यय की अनुमति है ।

(ii) चुनाव परिणाम के घोषित होने के 2 सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपुर्द करेगा । महाविद्यालय /विश्वविद्यालय ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस के अन्दर प्रकाशित करायेगा जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतंत्र परीक्षण कर सके ।

(iii) किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा ।

(iv) छात्र चुनाव प्रकिया में राजनीतिक दलो से रुपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्रोत से कोई धनराशि लेना विशेष रुप से प्रतिबंधित है ।

10. उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता:–

(i) कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रकिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी किया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढावा देवें या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे ।

(ii) दूसरे उम्मदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी । उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेगें जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित नहीं हो असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा ।

(iii) मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी । पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किये जायेगें ।

(iv) सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यों में लिप्त होने या उनके उत्पीडन करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या use of propaganda , चुनाव के आखरी घंटे से 24 घंटे पूर्व के समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस छोड़ना ।

(v) किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स, या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी । उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेगें तबकि जब ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपरोक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हों ।

(vi) उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेगें जो कि पूर्व में ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेगें ।

(vii) किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी ।

(viii) कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति के अभाव में खण्डित अथवा नष्ट नहीं करेगें । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति के खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रुप से एवं बारंबार ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होगें ।

(ix) चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते हैं, और जनसभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें, साथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा का बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा ।

(x) प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है ।

(xi) मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :-

(अ) उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेगें । इस वास्ते कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मताधिकार करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के ;

(ब) मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेगें , पानी को छोडकर ;

(स) मतदान दिवस को किसी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नहीं बांटेगें ।

(xii) मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास या चुनाव आयोग के अधिकार पत्र या महाविद्यालय /विश्वविद्यालय के अधिकार पत्र मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा ।

(xiii) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेगें । डीम्ड विश्वविद्यालय व स्ववित्तपोषित संस्थाओं के प्रसंग में सरकारी कर्मचारी भी पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं ।

यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेगें ।

(xiv) मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी ।

(xv) उपरोक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लघंन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारीता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा । जैसा कि प्रसंगवश हो । ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा भी की जा सकेगी ।

(xvi) उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153 A and chapter IX A– चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्र संघ चुनावों पर लागू किये जा सकेगें ।

(12) शिकायत निवारण तन्त्र :

(i) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसका चैयरमैन डीन छात्र कल्याण / छात्र कार्यकलापों का इनचार्ज अध्यापक होगा, इसके साथ ही एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व दो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी–एक लडका एवं एक लडकी योग्यता या सह शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर चैयरमेन द्वारा नामित किये जा सकेगें (जब तक चुनाव परिणाम घोषित किये जाते हैं) ।

उक्त शिकायत प्रकोष्ट को चुनाव से संबंधित शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा जो कि चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन और चुनावी खर्चो संबंधी शिकायतों को समाहित करेगा पर उन तक सीमित नहीं होगा । यह प्रकोष्ट संस्था की नियमित इकाई होगा ।

(ii) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में यह शिकायत प्रकोष्ठ आचरण संहिता के किसी पक्ष के उल्लंघनकर्ताओं या शिकायत प्रकोष्ठ के आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कर सकेगा । यह शिकयत प्रकोष्ट एक मौलिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रुप में कार्य करेगा ।

संसदीय अध्यक्ष (राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रकरण में कुलपति / निजी विश्वविद्यालयों के प्रकरण में प्रेसिडेन्ट व महाविद्यालयों के प्रकरण में प्राचार्य तथा शैक्षणिक अनुभागों के प्रकरण में संबंधित अनुभाग का विभागाध्यक्ष) को चुनावों के संचालन से संबंधित सभी केसेज या विवादों और कानून एवं तथ्य संबंधित सभी मुद्दों पर अपीलीय क्षेत्राधिर प्राप्त होगा जिनमें उक्त प्रकोष्ट ने अपना फैसला सुनाया हो ।

पुर्नसमीक्षा पर संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ट द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों को रद्द अथवा परिवर्तित कर सकता है ।

(iii) इस कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करते समय शिकायत प्रकोष्ट ऐसी प्रकियाओं और सुनवाईयों का संचालन करेगा जो इन कर्तव्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक होगी । इन कर्तव्यों को पूरा करते समय उसे अधिकार होगा कि —

(अ) आज्ञा जारी कर सम्मन से उम्मीदवारों, एजेन्टों, कार्यकर्ताओं को और छात्रों को बाध्य रुप से उपस्थित होकर साक्ष्य देने और आवश्यक रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकेगें ।

(ब) किसी उम्मीदवार की वित्तीय रिपोर्टो का निरीक्षण करना और प्रार्थना पर ऐसे दस्तावेज को जन–विवेचना हेतु उपलब्ध कराना ।

(iv) शिकायत प्रकोष्ट के सदस्य शिकायत दर्ज कराने से प्रतिबंधित किये गये हैं । कोई भी अन्य विद्यार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन हफ्ते के भीतर शिकायत प्रकोष्ट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है । ऐसी सारी शिकायतें शिकायत कर्ता विद्यार्थी के नाम से ही दर्ज की जायेगी ।

शिकायत प्रकोष्ट ऐसी सभी शिकायतों के प्राप्त होने के 24 घंटे में कार्यवाही करेगा । या तो उन्हें रद्द करेगा या सुनवाई करेगा ।

(v) शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत को रद्द कर सकता है यदि :

(अ) ऐसी शिकायत उपरोक्त सिफारिश में प्रस्तावित समय सीमा के अन्दर दर्ज नहीं की गई हो ।

(ब)यदि शिकायत ऐसा कोई कारण नहीं बता पाती जिसके लिए राहत दी जा सके ।

(स)शिकायतकर्ता का स्वयं कोई क्षति नहीं हुई है या क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

(vi) यदि कोई शिकायत रद्द नहीं हुई है तो सुनवाई अवश्य होनी चाहिए ।

शिकायत प्रकोष्ठ या तो लिखित में या ई–मेल से शिकायतकर्ता पक्ष एवं सभी व्यक्तियों या समूहों जिनका नाम शिकायत में लिया गया है सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा । संबंधित पक्ष तब तक अधिसूचित नहीं मने जायेगें जब तक उन्होने शिकायत की एक प्रति प्राप्त नहीं कर ली ।

(vii) सुनवाई शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी पर यह उपरोक्त नोटिस के प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर नहीं होगी जब तक सभी पक्ष 24 घंटे की समय सीमा को शिथिल करने हेतु सहमत ना हो ।

(viii) जब सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाता है तब शिकायत प्रकोष्ठ बहुमत द्वारा एक अस्थाई नियंत्रण आदेश जारी कर सकता है यदि उसे लगता है कि ऐसा करना किसी व्यक्ति या इकाई पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने हेतु आवश्यक है । कोई भी ऐसा नियंत्रण आदेश एक बार जारी किये के बाद तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक या तो शिकायत प्रकोष्ट का निर्णय नहीं सुनाया जाता या परिवेदना प्रकोष्ट द्वारा रोका न गया हो ।

(ix) शिकायत प्रकोष्ठ की सभी सुनवाईयां, कार्यवाहियां और बैठकें जन सामान्य हेतु खुली होनी चाहिए ।

(x) सुनवाई के दौरान सभी पार्टीज उपस्थित होंगी और वे अपने साथ कोई अन्य विद्यार्थी रख सकती है, जिससे कि वे राय ले सकें या जो वकील के रुप में उनका प्रतिनिधित्व कर सके ।

(xi) किसी भी सुनवाई हेतु शिकायत प्रकोष्ट के सदस्यों का बहुमत उपस्थित होना चाहिए और साथ ही यह आवश्यक है कि शिकायत प्रकोष्ट का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो ।

(xii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे सदस्य की होगी जो कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो ।

सुनवाई का प्रारुप शिकायत प्रकोष्ट द्वारा निर्धारित किया जायेगा पर यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों ही पक्ष शारीरिक रुप से बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिससे मुद्दों पर चर्चा एवं परिवाद, जवाब, खण्डन एवं प्रत्युत्तर, प्रारुप सुनवाई का उदेश्य चुनावी झगडे को सुलझाने में लिये जाने वाले निर्णय या आदेश या नियम को लेने

हेतु आवश्यक सूचना एकत्रित करना है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सुनवाईयों पर निम्न नियम की पालना होनी चाहिए :–

(क) शिकायतकर्ता पक्ष को दो से अधिक साक्षियों को रखने की अनुमति नहीं होगी तथापि शिकायत प्रकोष्ट आवश्यकतानुसार साक्षियों को बुला सकेगा ।

यदि उपरोक्त साक्षी सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हों तो शिकायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष को हस्ताक्षरित शपथ प्रोक्सी साक्षियों हेतु प्रस्तुत किये जा सकेगें ।

(ख) विवादग्रस्त पक्षों द्वारा पूछे गएं सभी प्रश्न और चर्चाओं को शिकायत प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा ।

(ग) सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष या गवाह का प्रत्यक्ष या प्रति परीक्षा शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी पार्टीयों द्वारा नहीं की जायेगी ।

(घ) शिकायतकर्ता द्वारा वाजिब समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी बशर्ते ये दोनों से निष्पक्ष और समान व्यवहार करते हों ।

(ड) दोष सिद्ध का उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता पक्ष का होगा ।

(त) शिकायतकर्ता प्रकोष्ट के निर्णय, आदेश और नियम उपस्थित शिकायत प्रकोष्ट के बहुमत से पारित हो और सुनवाई के बाद जितना शीध्र हो सके घोषित किये जाये । शिकायत प्रकोष्ट द्वारा नियम के बारे में लिखित राय निर्णय सुनाये जाने के 12 घंटे के अन्दर जारी की जानी होगी । इस लिखित राय में शिकायत प्रकोष्ट द्वारा तथ्यपरक निष्कर्ष और विधिसम्मत निर्णय जो ऐसी findings का समर्थन करते हो, का उल्लेख होना चाहिए ।

ऐसी लिखित राय तीन चुनाव प्रकिया की अवधि तक शिकायत प्रकोष्ट को उसके कार्यकलापों में सहयोग करेगी । पूर्व लिखित ऐसी रायों को देखने के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ट निर्णय पलट सकता है पर उसे ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध कर उपलब्ध कराना होगा ।

(थ) यदि शिकायत प्रकोष्ट के निर्णय के विरुद्ध संस्था अध्यक्ष को अपील की जाती है तो शिकायत प्रकोष्ट तुरन्त ही अपना निर्णय संस्था अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा ।

(द) शिकायत प्रकोष्ट ऐसे समाधान या प्रतिबन्ध को चुनेगा जो कि उल्लघंन के प्रकार और गम्भीरता के सबसे अधिक अनुरुप हो और उल्लघंनकर्ता के आशय या मानसिक अवस्था को दर्शाता हो । संभावित समाधान या प्रतिबंध समाहित करते हैं, जुर्मानों, प्रचार अभियान के विशेषाधिकार के निलम्बन और चुनाव से अयोग्य करने पर केवल इन तक ही सीमित नहीं है ।

(ध) कोई भी जुर्माना या जुर्माने की कुल राशि जो कि एक उम्मीदवार के विरुद्ध किया गया हो निर्धारित खर्चे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(न) यदि किसी सुनवाई के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ट यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ट ऐसे उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं को कुछ या शेष प्रचार समय में भाग लेने से प्रतिबन्धित कर सकता है ।

यदि ऐसा आदेश बचे हुए समय के कुछ हिस्से के लिए है तो यह तुरन्त प्रभावी हो जाएगा जिससे कि उम्मीदवार के पास चुनाव के दिनों से एकदम पहले व साथ–साथ में चुनाव प्रचार वापिस शुरु करने का अवसर मिल सके ।

(य) यदि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ट यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधान या उसके निर्णय, रायों, आदेशों अथवा नियमों का किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर और खुला उल्लंघन किया गया तो शिकायत प्रकोष्ट उसको अयोग्य कर सकता है ।

(र) यदि कोई पक्ष शिकायत प्रकोष्ट के किसी फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तो वह संस्था अध्यक्ष के समक्ष प्रतिकूल निर्णय सुनाये जाने के 24 घंटे के अन्दर एक अपील दायर कर सकता है । संस्थागत अध्यक्ष के पास शिकायत प्रकोष्ट के उपर उन सभी प्रकरणों में विवेकाधिकार पूर्ण अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा जिनमें शिकायतकर्ता प्रकोष्ट पर गलती आरोपित की गई है ।

(ल) जब तक संस्था अध्यक्ष द्वारा अपील सुनी जाकर निर्णय सुनाया जाता है तब तक शिकायत प्रकोष्ट का निर्णय वैद्य एवं पूर्ण प्रभावी होगा ।

(व) संस्था अध्यक्ष द्वारा शिकायत प्रकोष्ट नियमों से संबंधित अपील शीघ्रातिशीघ्र सुनी जायेगी पर यह शिकायत प्रकोष्ट द्वारा अपीलार्थी और संस्था अध्यक्ष को अपनी लिखित राय की प्रति दिये जाने के बाद के 24 घंटों के अन्दर नहीं होगा । अपील इस समय से पहले सुनी जा सकेगी पर केवल तब जब अपीलार्थी लिखित राय के अधिकार में शिथिलीकरण चाहे और संस्था अध्यक्ष ऐसे शिथिलिकरण को सहमति प्रदान करें ।

संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ट द्वारा जारी नियम का कियान्वयन रोकने या लंबित करने हेतु समुचित आदेश निकाल सकता है । जब तक कि अपीलों का निर्णय नहीं हो जाए ।

(स) संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ट के निष्कर्ष की समीक्षा अपील होने पर करेगा और यह शिकायत प्रकोष्ट के निर्णय को सहमति या उलट सकता है या प्रतिबन्धों में संशोधन कर सकता है ।

(13) चुनाव प्रकिया के दौरान परिसर में कानून–व्यवस्था बनाये रखना ।

कानून की घोर अवहेलना की कोई घटना या कोई आपराधिक कृत्य घटित होने पर उसकी सूचना महाविद्यालय /विश्वविद्यालय प्रशासन/संबंधित शैक्षणिक अनुभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस को यथाशीघ्र दी जाएगी जो अपराध घटने के 12 घंटे के अन्दर होनी अनिवार्य है ।

(14) विविध सिफारिशें –

(i) छात्र प्रतिनिधित्व हेतु विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के संगठक अनुभागों के नियमों में छात्र प्रतिनिधित्व हेतु स्पष्ट प्रावधान करें ।

(ii) छात्र प्रतिनिधित्व का एक नियम/कानून द्वारा नियमन होगा जिसमें इन सिफारिशों को समाहित किया जावे ।

(iii) संस्था द्वारा नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण कार्यकम, व्यावसायिक संगठनों की मदद लेकर चलाए जावें जिससे कि छात्रों का विकास हो और उनमें नेतृत्व गुणों को पल्लवित/रोपित किया जा सके ।

(iv) यदि चुनाव सम्पन्न होने के दो महिने के अन्दर किसी बडे पदाधिकारी का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव कराये जाने चाहिए या उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया जाकर इसी प्रकार संयुक्त सचिव को सचिव के पद पर पदोन्नति प्रकरणानुसार दी जा सकती है ।

(v) प्रत्येक वर्ष छात्रसंघ चुनाव वार्षिक आधार पर आयोजित किये जायेगें, जो शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 6 से 8 सप्ताह के मध्य आयोजित होगें । अतः सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं शैक्षणिक अनुभागों से संबंधित वर्तमान छात्रसंघ विधानों पर उपरोक्तानुसार सभी प्रावधान लागू होगें ।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करली जायें, एवं इससे संबंधित समस्त नियम एवं प्रावधान संस्था के प्रोस्पेक्टस में भी मुद्रित करवा दिये जायें जिससे नवीन शैक्षणिक सत्र 2010–2011 से छात्रसंघ चुनाव कराये जा सकें।

भ व.सी य.,

(तपेश पवार)

प्र.प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव मा. मुख्यमंत्री महोदय,राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक मा.मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा,राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा,राज.जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ,चिकित्सा शिक्षा,राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा,राज.जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा,राज.जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान जयपुर।

(आर. के. मीणा)

उप शासन सचिव

प्र. उच्च शिक्षा